फर्द अहकाम

दिलीप राही ..... बनाम भारत सिंह व अन्य

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या 29 / 2023 प्र.पत्र. धारा 34

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/9/23	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली – बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर / न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान / वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 29/11/23 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	323 324 29/10/23
29/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते..... दिनांक 31.1.24 को पेश है।	
31-1-24	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान को जारी नोटिस तामिल होना साबित नहीं हुआ। पक्षकारान को पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20/3/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
20/3/24	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान को जारी नोटिस तामिल होना साबित हुआ। प्रार्थी जयपुर रहना बताता है तथा परिवार वालों को नोटिस दिया जाता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी को पेशी देकर दिया जावे। पत्रावली दिनांक 14/5/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
14/5/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में आवाजाही के पश्चात प्रार्थी स्वयं व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण अग्रिम दूसरी बार पेशी के लिए लिया जाता है। पत्रावली अन्तिम बार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	